पत्रांक- 1226 /16-17/ज्वा0कमि0(का0पा0)वा0क0 सं0-बी

कार्यालय : ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
सम्भाग-बी गौतमबुद्ध नगर ।
दिनांक:: 22 दिसम्बर - 2016

Ajay Mahajan.
Head -Trade fairs Marketing.
Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association.
Rishyamook Building First Floor 85 A panchkula Road New Delhi.110001

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0 दि0- 13-12-2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से दि0 23-01-2017 से 25-01-2017 तक India Expo Centre & Mart, Greater Noida, Uttar Pradesh में Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association द्वारा आयोजित की जाने वाली **INTELECT 2017 exopsition and conference on intelligent electricity and concurrent exposition DistribuELEC .** नामक प्रदर्शनी में विभिन्न प्रतिभागियों (Participants)के माल को लाने/वापस ले जाने की अनुमति चाही गयी है । उक्त के सम्बन्ध में आप कमिश्नर, (सचल दल अंनुभाग) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं0-स0द0-25क-प्रदर्शनी निर्देश/882/ वाणिज्य कर दि0 18-07-2014 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

1-प्रान्त के अन्दर प्रवेश करने से पूर्व ही सम्बन्धित प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शनी स्थल में लाये जा रहे माल/ उत्पाद सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ वाहनों का ट्रांजिट डिक्लरेशन फार्म परिपत्र सं0-1341/ 1314041 दि0 03-09-2013 एवं ट्रांजिट डिक्लरेशन फार्म परिपत्र सं0- 1341/1314054 दि0 01-10-2013 के प्रस्तर-9 (छायाप्रति संलग्न) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार माल लाने व वापस ले जाने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

2-उपरोक्त प्रदर्शनी में यदि कोई माल/उत्पाद/मशीनरी लाये जाते हैं एवं उस पर प्रवेश कर की देयता बनती है, तो प्रदर्शनी स्थल जिस कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है, वह उसका कर निर्धारक अधिकारी होगा तथा प्रवेशकर देय कर के सम्बन्ध में यू0पी0 टैक्स आन इन्ट्री आफ गुडस इन्टू लोकल एरियाज अधिनियम-2007 के अनुसार निर्णय लेगा । देय प्रवेश कर का भुगतान प्रदर्शनी अवधि में ही जमा कराया / वसूल किया जाना सुनिश्चित करेगा।

3-प्रदर्शनी हेतु वेण्डर द्वारा टेन्ट आदि की स्थापना / आपूर्ति के मद में प्राप्त भुगतान (रेन्ट) ट्रांस्फर आफ राइट टू यूज की श्रेणी में आएगा जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम-2008 की धारा-3(6) में निहित प्राविधानों केअन्तर्गत कार्यवाही प्रदर्शनी अवधि में ही जमा कराया / वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार एवं मुख्यालय के उपरोक्त दोनों पत्रों में (प्रदर्शनी में माल को लाने एवं वापस ले जाने हेतु) दिये गये निर्देशों एवं शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त उपरोक्त प्रदर्शनी में माल को लाने एवं वापस ले जाने हेतु आपको स्वत: अनुमति की पात्रता ग्रहण हो जायेगी ।

संलग्नक : उपरोंक्तानुसार ।

(हरीराम चौरसिया)
ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर
सम्भाग-बी, गौतमबुद्धनगर ।

पृ0प0सं0 व दि0 : उक्त

प्रतिलिपि : डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-3 गौतमबुद्ध नगर को Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि0-13-12-2016,एवं List of Exihibitors for **INTELECT 2017. and concurrent exposition DistribuELEC** (44 प्रतिभागियों) की सूची की छायाप्रतियों सहित उक्त के सम्बन्ध में विधिक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर
सम्भाग-बी, गौतमबुद्धनगर ।